<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2024 **दायर दिनांकः 14/02/2024**

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र धूलीलाल जाति नाई निवासी कोहनी तहसील छीपाबडौद।
2. रामभरोस पुत्र धूलीलाल जाति नाई निवासी कोहनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>आदेश</u> **दिनाकः 23.12.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार खाता सं० 127 का ख० नं० 422 दक्षिण का रकबा 0.60 है०, ख० स० 423 दक्षिण का रकबा 0.44 है० ख0न0 424 दक्षिण का रकबा 0.07 है०, ख०न0 425 दक्षिण का रकबा 0.26 है० कुल किता 4 का रकबा 1.37 है० भूमि ग्राम व माल अमृतखेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0 मैं स्थित है। जो शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 व प्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 मैं वर्णित भूमि मैं सहवन से खाते में उनका निवास स्थान साकिन कोहनी की तहसील छबडा [illegible] गई है। जबकि ग्राम कोहनी की तहसील छीपाबडौद जिला बारां है। जो प्रार्थीगण के आधार [illegible] जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार से भी प्रमाणित है। प्रार्थीगण [illegible] दस्तावेजात के आधार पर रिकार्ड जमाबन्दी मे खाते मे अपना स्वनिवास स्थान साकिन कोहनी की तहसील छबडा के स्थान पर तहसील छीपाबडोद करवाने हेतु अप्रार्थी के पास समस्त दस्तावेजात सहित उपस्थित हुआ परन्तु अप्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

खाता जमाबन्दी रिकार्ड में प्रार्थीगण के निवास स्थान साकिन कोहनी की तहसील छबडा के स्थान पर छीपाबडौद करने से इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत करने की हिदायत दी। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 30–1–2024 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के पास अपने सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि के आधार पर राजस्व रिकार्ड खाता जमाबन्दी में अपने निवास स्थान कोहनी की तहसील छबडा के स्थान पर छीपाबडौद करवाये जाने का निवेदन किये जाने पर एंव उनके द्वारा इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत करने की हिदायत देने पर इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त भमि ग्राम व माल अमृतखेडी तह० अटरु जिला बारां मैं स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एंव उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के शामलाती खाते की प्रार्थना पत्र की मद न0 1 मैं वर्णित ग्राम व माल अमृतखेडी तह० अटरू जिला बारां की भूमि मैं राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मैं प्रार्थीगण के निवास स्थान साकिन ग्राम कोहनी की तहसील छबडा को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर तहसील छीपाबडोद करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करे। जबकि प्राथर्णीगण के दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि मैं उनके निवास स्थान ग्राम कोहनी की तह० छीपाबडौद ही दर्ज है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अमृतखेडी सं० 2071–74 खाता संख्या 127, आधार कार्ड चन्द्रप्रकाश, आधार कार्ड रामभरोस, [illegible] चन्द्रप्रकाश, मतदाता पहचान पत्र रामभरोस, राशन कार्ड चन्द्रप्रकाश, राशन कार्ड [illegible] का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा पत्रावली में शामील दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अमृतखेडी पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

की आराजी खाता संख्या 127 का ख० नं० 422 दक्षिण का रकबा 0.60 है०, ख० स० 423 दक्षिण का रकबा 0.44 है० ख0न0 424 दक्षिण का रकबा 0.07 है०, ख०न0 425 दक्षिण का रकबा 0.26 है० कुल किता 4 का रकबा 1.37 है० भूमि में सहखातेदार चन्द्रप्रकाश पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छबडा के स्थान पर चन्द्रप्रकाश पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छीपाबडौद व रामभरोस पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छबडा के स्थान पर रामभरोस पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छीपाबडौद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अमृतखेडी पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 127 का ख० नं० 422 दक्षिण का रकबा 0.60 है०, ख० स० 423 दक्षिण का रकबा 0.44 है० ख0न0 424 दक्षिण का रकबा 0.07 है०, ख०न0 425 दक्षिण का रकबा 0.26 है० कुल किता 4 का रकबा 1.37 है० भूमि में सहखातेदार चन्द्रप्रकाश पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छबडा के स्थान पर चन्द्रप्रकाश पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छीपाबडौद व रामभरोस पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छबडा के स्थान पर रामभरोस पुत्र धुलीलाल जाति नाई सा. कोहनी तहसील छीपाबडौद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां